पेश किया गया शामिल पत्रावली किया जाकर तस्दीक किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट पूर्व निर्धारित दिनांक 5-10-19 को पेश हो।

5-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पैरोकार उपस्थित जवाब स्टेट हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 25-10-19 को पेश हो।

25-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित जवाब स्टेट पेश हुआ शामिल पत्रावली किया जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद बाकी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 153/2019 अनवान राजेन्द्र कुमार बनाम सुभाष चन्द्र)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर..ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 153/2019

1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्योपत सिंह जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 सुभाषचन्द्र पुत्र श्री श्योपत सिंह जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 रोहित कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 ऋषि कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ।
5 अमनदीप पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 अनिल कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता वादी
2. निर्मला रानी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ता 6

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.10.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्योपत सिंह पुत्र श्री हरीराम के नाम से संयुक्त खाता की तहसील हनुमानगढ़ के चक 3 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 103/265 (17) किला नम्बर 1 ता 25, पत्थर नम्बर 102/269 (35) किला नम्बर 14, 15, पत्थर नम्बर 103/269 (36) किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 103/270 (39) किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 21, पत्थर नम्बर 103/270 (40) किला नम्बर 6, 13 ता 18 व 25, पत्थर नम्बर 102/271 (45) किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टर कुल 13.636 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार थी जिसमें श्योपत सिंह का 12.877 हैक्टर का हक व हिस्सा था।

श्योपत सिंह की मृत्यु वर्ष 2006 में होने के बाद उसकी उपरोक्त 12.877 हैक्टर कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल उसके जायज व कानूनी वारिसान प्रमिला (पत्नी), राजेन्द्र कुमार, सुभाष (पुत्रगण), सरोज व सुमन (पुत्रिया) के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में जरिये इंतकाल संख्या 174 दिनांक 04.05.2006 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ सत्य प्रतिलिपि नामान्तरण सख्या 174 संलग्न वादपत्र है।

स्व. श्री श्योपत सिंह के जायज व कानूनी वारिसान प्रमिलादेवी, सुमन, सरोज ने अपने पति से विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि में 3/5 हिस्सा का त्याग अपने पुत्र व भाईयों राजेन्द्र कुमार व सुभाष के पक्ष में बहिस्सा बराबर जरिये दस्तबरदारी दिनांक 26.08.2009 को

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

कर दिया। दस्तबरदारी के आधार पर स्व. श्री श्योपत सिंह के 12.877 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में जरिये इंतकाल संख्या 218/3.09.2009 दर्ज हुआ। सत्य प्रतिलिपि नामान्तरण सख्या 218 एवं जमाबंदी सम्वत् 2064–67 व सम्वत् 2072–75 संलग्न वादपत्र है।

स्व. श्री श्योपत सिंह के जीवनकाल में ही प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि में 0.759 हैक्टर का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 0.759 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो अर्सा पूर्व रेलवे विभाग के आधिपत्य में थी जो संयुक्त खाता की कृषि भूमि के पत्थर नम्बर 103/270 (39) के किला नम्बर 13 की 0.152 हैक्टर, किला नबर 19 की 0.152 हैक्टर, किला नम्बर 20 की 0.025 हैक्टर व किला नम्बर 21 की 0.190 हैक्टर व पत्थर नम्बर 102/277 (40) किला नम्बर 25 की 0.076 हैक्टर व पत्थर नम्बर 102/271 के किला नम्बर 5 की 0.063 हैक्टर कुल 0.683 हैक्टर कृषि भूमि मौका पर रेलवे विभाग के आधिपत्य अनुसार थी। हल्का पटवारी के नजरी नक्शा में भूमि रेलवे विभाग के नाम आधिपत्य में होना दर्शित हो रही है। हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्शा वादी वादपत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है। शेष कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी के कब्जा में बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा प्रत्येक के पास थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकन अधिक रहने से उसके मन में बदयांति आ गई और अब वह रेलवे विभाग की आधिपत्य भूमि को छोड़कर शेष कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा से अधिक 0.759 हैक्टर पर आधिपत्य करना चाहता है जो कि किसी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज 0.759 हैक्टर कृषि भूमि पूर्व में ही रेलवे विभाग के आधिपत्य में थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन रेलवे विभाग के नाम से नहीं हुआ। इसी बात का प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज फायदा उठाना चाहता है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ही काश्त करता है एवं समस्त लेन देन व राजस्व अधिकारियों व पटवारियों से औपचारिकताएं भी वहीं पूर्ण करता है इसलिए वादी को कभी इस चीज का इल्म नही हुआ कि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 0.759 हैक्टर कषि भूमि अलग से दर्ज है, अभी गेहूं की फसल उठाने के बाद भूमि खाली हो गई और वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से समस्त कृषि भूमि का हक व हिस्सा अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने हेतु बातचीत की लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा। वादी भी उस पर विश्वास कर इन्तजार करता रहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 बदयान्त था इसलिए वह भूमि का बहिस्सा बराबर खाता विभाजन नहीं करवाना चाहता था। गत सप्ताह जब गंभीरता से प्रतिवादी संख्या 1 से खाता विभाजन हेतु बात की तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि कुल भूमि में वादी के साथ बहिस्सा बराबर का खाता विभाजन नहीं करवाया जा सकता क्योकि उसके पास 3 बीघा कृषि भूमि अधिक है, इसलिए वह 3 बीघा अधिक का खाता विभाजन अपने नाम से करवाने हेतु सहमत है। प्रतिवादी संख्या 1 की बात सुनकर वादी हैरान परेशान हो गया और पटवारी से मिलकर जमाबंदी प्राप्त की, तो वादी को इल्म हुआ कि राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 68/63 सम्वत् 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 0.759 हैक्टर भूमि अधिक है और उसमें वादी का हिस्सा 6.438 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 7.198 हैक्टर दर्ज है जो कि कतई सही नहीं है जबकि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अधिक भूमि दर्ज होने के बारे में पुछताछ की तो पता चला कि सुभाष के नाम से श्योपत सिंह के जीवनकाल से ही 0.759 हैक्टर भूमि दर्ज थी लेकिन यह भूमि रेलवे विभाग के आधिपत्य में थी, इसलिए मौका पर दोनो का बराबर का हक व हिस्सा

लगातार 3

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

(5)

था लेकिन राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि रेलवे विभाग के नाम दर्ज न होकर सुभाष के नाम दर्ज थी इसलिए मृतक श्योपत सिंह ने भी अपने जीवनकाल में कभी इस अंकन की तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन वादी को इससे नाजायज नुकसान हो रहा है, इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में जरिये दुरूस्ती स्व. श्री श्योपत सिंह की 12.877 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 0.759 हैक्टर कुल 13.636 हैक्टर कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर अर्थात् 6.818 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त कृषि भूमि समस्त प्रतिवादी सख्या 1 ही काश्त करता था लेकिन अब अप्रैल 2019 से वादी अपने हक व हिस्सा की 6.818 हैक्टर भूमि स्वयं काश्त करता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 बदयांत है और प्रतिदिन सींव, बट व पानी की बारी को लेकर मौका पर तनाजा रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति के आधार पर दुरूस्ती एवं खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया है इसलिए वादी हक व हिस्सा तथा कब्जा अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवाकर अलग रकमराज कायम करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 बदयांति पूर्वक रेलवे विभाग के आधिपत्य में भूमि जाने के बाद स्व. श्री श्योपत सिंह की भूमि में अधिक हिस्सा लेना चाहता है जिससे वादी को नाजायज नुकसान हो रहा है, इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु पंचायत के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने बदयांति पूर्वक वादी की बात को मानने से गत सप्ताह स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 2 भूमि का भू–धारक है। चूंकि वादपत्र खाता विभाजन का है इसलिए फरीकैन पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर.टी. एक्ट मय शपथ–पत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) घोषणात्मक आज्ञा इस अमर की जारी की जावें कि तहसील हनुमानगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चक 3 एस.टी.जी. खाता संख्या 68/63 में 13.636 हैक्टर कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा अर्थात् 6.818 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है।

(ख) घोषणात्मक आज्ञा अनुसार भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन अलग किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में प्रदान किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्योपत सिंह पुत्र श्री हरीराम के नाम से संयुक्त खाता की तहसील हनुमानगढ़ के चक 3 एस.टी.जी. के पत्थर नंबर 103/265 (17) किला नम्बर 1 ता 25 पत्थर नम्बर 102/269 (35) किला नम्बर 14, 15, पत्थर नम्बर 103/269 (36) किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 103/270 (39) किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13,

लगातार 4

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy, Not Official

Scanned by CamScanner

19 ता 21 पत्थर नम्बर 103/270 (40) किला नम्बर 6, 13 ता 18 व 25, पत्थर नम्बर 102/271 (45) किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टर कुल 13.636 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार थी जिसमें श्योपत सिंह का 12.877 हैक्टर का हक व हिस्सा था। वास्तव में समस्त कृषि भूमि श्योपत सिंह की ही थी लेकिन सहबन से संयुक्त खाता की कृषि भूमि में श्योपत सिंह के जीवनकाल में ही 0.759 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज हो गई। स्व. श्री श्योपत सिंह के जीवनकाल में ही प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि में 0.759 हैक्टर का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 0.759 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो अर्सा पूर्व रेलवे विभाग के आधिपत्य में थी जो संयुक्त खाता की कृषि भूमि के पत्थर नम्बर 103/270 (39) के किला नम्बर 13 की 0.152 हैक्टर, किला नम्बर 19 की 0.152 हैक्टर किला नम्बर 20 की 0.025 हैक्टर व किला नम्बर 21 की 0.190 हैक्टर व पत्थर नम्बर 102/277 (40) किला नम्बर 25 की 0.076 हैक्टर व पत्थर नम्बर 102/271 के किला नम्बर 5 की 0.063 हैक्टर कुल 0.683 हैक्टर कृषि भूमि मौका पर रेलवे विभाग के आधिपत्य अनुसार थी।

पक्षकारान के मध्य इसी वजह से विवाद रहता था क्योकि रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.759 हैक्टर अतिरिक्त दर्ज थी जबकि मौका पर व हक व हिस्सा अनुसार कुल 13.636 हैक्टर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बहिस्सा बराबर का हक व हिरसा था। इसी असार मौका पर काबिज व काश्त है। अब पक्षकारान का पंचायती तौर पर राजीनामा हो गया है। राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का भी उक्त 13.636 हैक्टर कृषि भूमि में जन्म से ही बहिस्सा बराबर का वादी व प्रतिवादी राख्या 1 के साथ हक व हिस्सा है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार करते है व राजीनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान बहिस्सा बराबर अपना हक व हिस्सा दर्ज करवाने हेतु सहमत है जिसमें वादी के 6.818 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का बहिरसा बरावर का हक होने से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के 6.818 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा होने से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पक्षकारान् सहमत हैं।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 3 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 103/265 (17) किला नम्बर 1 ता 25, पत्थर नम्बर 102/269 (35) किला नम्बर 14, 15, पत्थर नम्बर 103/269 (36) किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 103/270 (39) किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 21, पत्थर नम्बर 103/270 (40) किला नम्बर 6, 13 ता 18 व 25, पत्थर नम्बर 102/271 (45) किला नम्बर 5 की 0.013 हैक्टर कुल 13.636 हैक्टर में पक्षकारान प्रत्येक का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 2.272 हैक्टर का अंकन बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे व उक्त राजीनामा अनुसार ही वाद डिक्री किया जाकर इस आशय की डिक्री पक्षकारान के पक्ष में जारी की जावे।

प्रकरण में वी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में घोषणात्मक आज्ञा की हद तक राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक करवाया जा चुका है। और राजीनामा अनुसार ही वाद पत्र डिक्री किये जानें का अनुतोष चाहा गया है। लेकिन वाद पत्र में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया था पक्षकारानअब विवादित भूमि के सम्बंध में खाता विभाजन नहीं चाहते है। अतः खाता विभाजन का अनुतोष रिलिज किये जानें के आद घोषणात्क आज्ञा की डिक्री राजीनामा के अनुसार की जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 5

Scanned by CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38, 39, 40, 53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, का भी पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत ब्लॉक 3 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 103/265 (17) किला नम्बर 1 ता 25, पत्थर नम्बर

लगातार 6

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

102/269 (35) किला नम्बर 14, 15, पत्थर नम्बर 103/269 (36) किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 103/270 (39) किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 21, पत्थर नम्बर 103/270 (40) किला नम्बर 6, 13 ता 18 व 25, पत्थर नम्बर 102/271 (45) किला नम्बर 5 की 0.063 हैक्टर कुल 13.636 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "राजेन्द्र गोदारा 6.438 हिस्सा, सुभाष गोदारा 7.198 हिस्सा पिसरान श्योपतसिंह कौम जाट साकिन मक्कासर" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र पुान श्री श्योपत सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर, प्रतिवादी संख्या 3 रोहित कुमार प्रतिवादी संख्या 4 ऋषि कुमार पुत्रान राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी संख्या 5 अमनदीप प्रतिवादी संख्या 6 अनिल कुमार पुत्रान सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़" को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(9)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 153/2019

1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्योपत सिंह जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 सुभाषचन्द्र पुत्र श्री श्योपत सिंह जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 रोहित कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 ऋषि कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 अमनदीप पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट (गोदारा) निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 अनिल कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 24.10.2019

वादी की और से श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से निर्मला रानी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की और से श्री लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 24.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 3 एस.टी.जी. के पत्थर नम्बर 103/265 (17) किला नम्बर 1 ता 25, पत्थर नम्बर 102/269 (35) किला नम्बर 14, 15, पत्थर नम्बर 103/269 (36) किला नम्बर 11 ता 13, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 103/270 (39) किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 21, पत्थर नम्बर 103/270 (40) किला नम्बर 6, 13 ता 18 व 25, पत्थर नम्बर 102/271 (45) किला नम्बर 5 की 0.063 हैक्टर कुल 13.636 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "राजेन्द्र गोदारा 6.438 हिस्सा, सुभाष गोदारा 7.198 हिस्सा पिसरान श्योपतसिंह कौम जाट साकिन मक्कासर" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र पुान श्री श्योपत सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर, प्रतिवादी संख्या 3 रोहित कुमार प्रतिवादी संख्या 4 ऋषि कुमार पुत्रान राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी संख्या 5 अमनदीप प्रतिवादी संख्या 6 अनिल कुमार पुत्रान सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़" को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: